



Neutral Citation No-2026:AHC:10073

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5235 वर्ष 2025

मनोज कुमार दुबे और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृष्ण कुमार चौरसिया

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. चकबंदी अधिकारी, रामयीपट्टी जिलामिर्जापुर को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता है कि वह यू.पी.सी.एच. अधिनियम, 1953 की धारा 9ए(2) के तहत मामला संख्या-26 से 29 कंप्यूटर केस संख्या-202254165331010017 (लक्ष्मण बनाम राज्य) को उस विशिष्ट अवधि के भीतर तय करे, जिसे कृपया इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही 1994 से विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि मूल कार्यवाही में प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस निर्देश के साथ कि चकबंदी अधिकारी, रामायीपट्टी, जिला मिर्जापुर (प्रतिपक्षी संख्या-2), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)